न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—174/2024

प्रार्थिनी—

सुबटीदेवी पत्नी अणदाजी जाति राजपुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री गौतमसिंह प्रार्थिनी अधिवक्ता

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 11.03.2025

प्रार्थिनी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 442 व 443 रकबा 1.8211 व 1.5808 हैक्टेयर ग्राम गुडा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थीनी काबिज होकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थिनी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड व मतदाता परिचय पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम ''सुबटीदेवी पत्नी अणदाजी'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में विक्रेय विलेख का नामान्तकरण दर्ज करते समय त्रुटिवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थिनी का नाम ''ससुबटीदेवी पत्नी तुलसाराम'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतःप्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/383 दिनांक 20.02.2025 द्वारा प्रार्थिनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

वकील प्रार्थिनी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थिनी की बहस है कि प्रार्थिनी ने जिसे पंजीकृत विक्रेय विलेख विवादित भूमियों को दिनांक 25.06.2024 को क्रय किया था उक्त विक्रेय विलेख में प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''सुबटी देवी पत्नी अणदाजी'' दर्ज है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 442 व 443 (वर्तमान खसरा संख्या 678 व 679) रकबा कमशः 1.8211 व 1.5808 हैक्टेयर (वर्तमान रकबा 1.6086 व 1.8173 हैक्टेयर) ग्राम गुडा तहसील सिवाना में ''ससबुटी देवी पत्नी तुलसाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है।

हमने प्रार्थिनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के,आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व जन आधार कार्ड व राशनकार्ड व विवादित भूमि के खरीद दस्तावेज में प्रार्थिनी का नाम ''सुबटी देवी पत्नी अणदाजी'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थिनी का नाम ''ससुबटी देवी पत्नी तुलसाराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''सुबटी देवी पत्नी अणदाजी'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 442 व 443 (वर्तमान खसरा 678 व 679) रकबा क्रमशः 1.8211 व 1.5808 हैक्टेयर (वर्तमान रकबा 1.6086 व 1.8173 हैक्टेयर) ग्राम गुडा तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम ''ससुबटी देवी पत्नी तुलसाराम'' के स्थान पर ''सुबटी देवी पत्नी अणदाजी'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:43 IST
Reason: SelfAttested